न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष – एम.के.सिंह

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2496-PBR/2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 17.05.2013 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, जाबरा प्रकरण क्रमांक 16/2012–13 अपील

पेपाबाई पति अम्बाराम पिता नारायण
निवासी– ग्राम रियावन तहसील पिपलोदा
जिला रतलाम (म.प्र.) —– आवेदक

विरूद्ध

1– नारायण पिता रामा कुम्हार
2– सम्पतबाई पति नारायण कुम्हार
3– मदनलाल पिता नारायण कुम्हार
4– कन्हैया लाल पिता नारायण कुम्हार
5– मोहनलाल पिता नारायण कुम्हार
निवासीगण– ग्राम बडोदा, तहसील पिपलौदा,
जिला–रतलाम (म.प्र.)
6– नीलूकुमारी नाबालिग द्वारा सरपरस्त पिता मोहनलाल
निवासी – नगरी तहसील जाबरा जिला रतलाम (म.प्र.)
7– मदनसिंह पिता दौलतसिंह राजपूत
निवासी–ग्राम बडौदा, तहसील पिपलौदा,
जिला रतलाम (म.प्र)

—– अनावेदकगण

श्री एस.के वाजपेयी अभिभाषक आवेदक
अनावेदक कमांक 1 से 6 तक सूचना उपरांत अनुपस्थित।
श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी अनावेदक क्रमांक–7

:: आदेश ::

(आज दिनांक २१/01/2015)

यह निगरानी आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी जाबरा के प्रकरण क्रमांक 16/2012–13 अपील में पारित आदेश दिनांक 17.05.2013 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता सन् 1959 (जिसे आगे केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2— प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि तहसीलदार पिपलौदा द्वारा आवेदक की पैत्रिक कृषि भूमि सर्वे क्रमांक 141 रकवा 1.47 है. स्थित ग्राम बडौदा तहसील पिपलौदा की भूमि का अनावेदक क्रमांक 1,3,4 एवं 5 की मिली भगत करते हुये अवैध तरीके से नामान्तरण पंजी में बटवारा क्रमांक 1/अ—6 दिनांक 24.12.2005 को आदेश पारित करा लिया था। जिसके विरूद्व आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, जावरा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गयी उक्त अपील के साथ धारा 5 अवधि विधान एवं धारा 48 भू—राजस्व संहिता का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था जो आदेश दिनांक 24.04.2013 से स्वीकार किया जाकर नामान्तरण पंजी पर पारित आदेश दिनांक 24.12.2005 निरस्त किया गया एवं निर्देश दिये गये कि भूमिस्वामी अपने विधिक् वारिसो में भूमि का विभाजन कराना चाहता है, तो वह धारा 178 में किये गये संशोधन के अनुसार तहसीलदार न्यायालय में आवेदन पेश करें तथा यदि भूमि स्वामी के पुत्र बटवारा चाहते है तो पहले सिविल से अपने हक की घोषणा करवाये, तत्पश्चात् बंटवारा हेतु तहसीलदार न्यायालय के समक्ष आवेदन पेश करें। इस न्यायालय से कोई कार्यवाही शेष नहीं है। इसके पश्चात् दिनांक 10.05.2013 को आपत्तिकर्ता मदनसिंह पिता दौलतसिंह द्वारा एक आवेदन पत्र इस आशय से प्रस्तुत किया। कि माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.04.2013 का क्रियान्वयन अपील न्यायालय से स्थगन प्राप्त होने तक स्थगित किया जायें। न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 17.05.2013 से यह आदेश दिया, कि वर्ष 2005 में बटवारा उपरान्त भूमियों का दो बार विक्रय हो गया है तथा नामान्तरण हो गये है। प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये इस न्यायालय द्वारा जारी आदेश के क्रियान्वयन से प्रकरण में पेचीदगियॉ उत्पन्न होगी। अतः आगामी आदेश तक न्यायालय द्वारा जारी आदेश का क्रियान्वयन स्थगित किया जाता है। पटवारी के नाम इस आशय का आदेश जारी हो, कि आदेश दिनांक 24.04.2013 का क्रियान्वयन स्थगित किया गया है, इस आशय की पटवारी अभिलेख में पृविष्टि करें। प्रकरण में चूंकि इस न्यायालय से अन्तिम आदेश हो चुका है, अतः अब कोई कार्यवाही शेष नही है। इसी आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा राजस्व मण्डल के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3— प्रकरण में आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किये गये कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 17.05.2013 विधिविधान के विपरीत होने से निरस्त किये जाने

योग्य है। आपत्तिकर्ता मदन सिंह पिता दौलतसिंह अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार व अनुविभागीय अधिकारी, जावरा के न्यायालय में पक्षकार नहीं थे, इसलिये उन्हें आपत्ति प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। जब आदेश दिनांक 24.04.2013 अन्तिम हो चुका है। तब ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी, जावरा द्वारा इस आदेश को स्थगित करने का कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं था। इस प्रकार उनका आदेश अवैधानिक त्रुटिपूर्ण तथा क्षेत्राधिकार रहित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। आवेदक के अभिभाषक की ओर से यह भी बताया गया कि अनुविभागीय अधिकारी, जावरा के आदेश से आपत्तिकर्ता मदन सिंह पिता दौलतसिंह असन्तुष्ट था तो उसे इस आदेश को वरिष्ठ न्यायालय में चुनौती देना था। एक बार आदेश होने के बाद अपने ही आदेश को अनुविभागीय अधिकारी, जावरा द्वारा किसी भी दशा में कानून के किसी भी प्रावधानों के अन्तर्गत स्थगित नहीं किया जा सकता है। इसलिये अनुविभागीय अधिकारी, जावरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.05.2013 निरस्त किया जायें एवं आवेदक की वर्तमान निगरानी स्वीकार की जायें।

4— अनावेदक की ओर से उनके अभिभाषक द्वारा तर्क किये गये कि अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, जावरा द्वारा प्रकरण में जो आदेश पारित किया हैं वह आदेश उचित एवं सही होने से स्थिर रखे जाने योग्य है। अभिभाषक द्वारा यह भी बताया गया कि अनुविभागीय अधिकारी, जावरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.04.2013 के विरूद्व मदनसिंह पिता दौलतसिंह द्वारा पुर्नाविलोकन का आवेदन पत्र धारा 51 भू—राजस्व संहिता के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी, जावरा को प्रस्तुत किया गया था एवं एक अपील प्रकरण क्रमांक 63/2012—13 पेपाबाई द्वारा नारायण पिता रामाजी एवं अन्य के विरूद्व प्रस्तुत की गयी थी। जिसमें अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.07.2013 पारित कर यह आदेश दिया। कि इस न्यायालय का पूर्व अपील प्रकरण क्रमांक 37/09—10 आदेश दिनांक 08.03.2011 द्वारा निरस्त हुआ है। जिसे किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दिये जाने से वादग्रस्त भूमियों पर मदनसिंह के पक्ष में हुआ नामान्तरण आदेश दिनांक 3.6.2010 आज भी प्रभावशील है, मोहनलाल द्वारा वादग्रस्त भूमि के संबंध में दायर व्यवहारवाद क्रमांक 22ए/2010 दिनांक 17.08.2010 को माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायधीश, जावरा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। जिसमें अस्थायी निषेधाज्ञा चाही गयी थी जो दिनांक 26.10.2010 को निरस्ती हुयी तत्पश्चात् उक्त व्यवहारवाद भी दिनांक 17.02.2012

को निरस्त हुआ। इस प्रकार कन्हैयालाल द्वारा भी वादग्रस्त भूमि के संबंध में व्यवहारवाद् क्रमांक 170/11 दिनांक 21.05.2011 को माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायधीश जाबरा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जो दिनांक 09.03.2012 को निरस्त हुआ, इस प्रकार माननीय सिविल न्यायालय के निर्णय राजस्व न्यायालयों पर बंधनकारी है। अतः वाद्ग्रस्त भूमि सर्वे नं. 141/1 एवं 141/2 रकवा क्रमशः 0.49 है. एवं 0.49 है. कुल रकवा 0.98 है. भूमि राजस्व अभिलेख में मदनसिंह का नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये है। ऐसी स्थिति में माननीय न्यायालय के समक्ष आवेदिका द्वारा जो पुनरीक्षण प्रस्तुत किया गया है वह अप्रचलनीय होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अनावेदक अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में यह भी बताया कि मदनसिंह द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन में तत्कालीन अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के द्वारा पुर्नाविलोकन आवेदन पत्र दिनांक 16.10.2012 को प्रस्तुत किया गया, जिसे ग्राह्य किया जाकर द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक 355 व 356/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 23.08.2011 के पुर्नाविलोकन की अनुमति हेतु प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल, ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 3776 व 3777-पु/2012 में पारित आदेश दिनांक 22.03.2013 से अनुमति दी गयी गयी थी। प्रकरण क्रमांक 355 व 356/2010–11 में तत्कालीन, अपर आयुक्त, उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.08.2011 को प्रकरण क्रमांक 1 व 2/पुर्नाविलोकन/2012–13 में अपर आयुक्त, उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.05.2014 से निरस्त किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, जावरा के प्रकरण क्रमांक 39 व 40 / 09–10 पारित आदेश दिनांक 08.03.2011 एवं तहसीलदार पिपलौदा के नामान्तरण पंजी क्रमांक 13 व 14 में पारित आदेश दिनांक 18.09.2007 को स्थिर रखे गये है। इसी प्रकार कन्हैयालाल व मोहनलाल द्वारा वादग्रस्त भूमियों पर मदनसिंह के पक्ष में हुए नामान्तरण आदेश दिनांक 03.06.2010 के विरूद्ध न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, जावरा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी। उक्त अपील प्रकरण क्रमांक 37/2009–10 भी दिनांक 08.03.2011 को निरस्त हुयी थी। उक्त प्रकरण क्रमांक 37/2009–10 की द्वितीय अपील अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन में प्रस्तुत की गयी। जो प्रकरण क्रमांक 585/2011–12 में दर्ज हुयी। उक्त अपील प्रकरण क्रमांक 585/2011–12 भी अपर आयुक्त, उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.11.2014 से निरस्त की जाकर अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जावरा के अपील प्रकरण क्रमांक 37/2009–10 में पारित आदेश दिनांक 08.03.2011 व तहसीलदार

पिपलौदा द्वारा पारित नामान्तरण आदेश दिनांक 03.06.2010 को स्थिर रखे हैं। अंत में अभिभाषक द्वारा निवेदन किया गया कि आवेदिका द्वारा प्रस्तुत वर्तमान निगरानी बलहीन एवं सारहीन होने से निरस्त की जाये।

5— प्रकरण में उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया गया तथा विद्वान अभिभाषकगणों के तर्कों पर मनन किया गया एवं विभिन्न अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों का सूक्ष्म अध्ययन किया गया। यहकि उपरोक्त प्रकरण में आवेदिका द्वारा निगरानी आदेश दिनांक 17.05.2013 के विरूद्व प्रस्तुत की गयी है जिसमें केवल यह उल्लेख किया गया है, कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील में पारित आदेश दिनांक 24.04.2013 का क्रियान्वयन स्थगित किये जाने का आदेश पारित किया गया है। इससे आवेदिका के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है, जहाँ तक आवेदिका का यह तर्क कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.04.2013 के विरूद्व कोई अपील अथवा पुनरीक्षण प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी का आदेश अपने स्थान पर अन्तिम हो गया है। जबकि वर्तमान प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी जाबरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.07.2013 पारित किया है। जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है, कि मदन सिंह के पक्ष मे हुआ नामान्तरण आदेश दिनांक 03.06.2010 आज भी प्रभावशील है तथा इस न्यायालय का प्रकरण क्रमांक 37/09—2010 में पारित आदेश दिनांक8.3.2011 के विरूद्व अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के समक्ष अपील प्रकरण क्रमांक 585/2011—12 कन्हैयालाल द्वारा मदनसिंह के विरूद्व प्रस्तुत की गयी थी। जो आदेश दिनांक 26.11.2014 से निरस्त की गयी है। जिसके अनुसार अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जावरा के अपील प्रकरण क्रमांक 37/2009—10 में पारित आदेश दिनांक 08.03.2011 व तहसीलदार पिपलौदा द्वारा पारित नामान्तरण आदेश दिनांक 3.6.2010 स्थिर रखे हैं तथा इसी भूमि के संबंध में मोहनलाल द्वारा व्यवहार वाद क्रमांक 22ए/2010 दिनांक 17.8.2010 को माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायधीश जाबरा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। जिसमें अस्थायी निषेधाज्ञा चाही गयी थी। जो दिनांक 26.10.2010 को निरस्त हुयी है। तत्पश्चात् व्यवहार वाद् भी दिनांक 17.02.2012 को निरस्त हुआ है इसी प्रकार कन्हैयालाल द्वारा भी वाद्ग्रस्त भूमि के संबंध व्यवहारवाद क्रमांक 170/11 दिनांक 21.05.2011 को माननीय न्यायालय जिला न्यायधीश जाबरा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। जो 9.3.2012

को निरस्त हुआ। इस प्रकार माननीय सिविल न्यायालय के निर्णय राजस्व न्यायालयों पर बंधनकारी है। इस संबंध में न्यायदृष्टांत 1985 आर.एन.218, 1982 आर.एन. 485, 1982 जे. एल.जे 810 उच्च न्याया. के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही उचित है। इसलिये व्यवहार न्यायालय द्वारा जिन बिन्दुओं का निराकरण कर दिया गया है। उन्हें पुनः राजस्व न्यायालय प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। इसलिये वादग्रस्त भूमियों के संबंध में मदनसिंह से पक्ष में नामान्तरण आदेश दिनांक 03.06.2010 आज भी प्रभावशील है। अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा प्रकरण क्रमांक 1 व 2/पुर्नाविलोकन/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 13.05.2014 को प्रकरण क्रमांक 585/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 26.11.2014 को न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जावरा द्वारा प्रकरण क्रमांक 37, 39 व 40 में पारित आदेश दिनांक 08.03.2011 को तहसीलदार पिपलौदा द्वारा पारित नामान्तरण पंजी क्रमांक 13 व 14 में पारित आदेश दिनांक 18.09.2007 एवं नामान्तरण आदेश दिनांक 03.06.2010 को स्थिर रखा जाता है, अतः ऐसी स्थिति में जो आदेश अनुविभागीय अधिकारी, जावरा द्वारा वर्तमान प्रकरण में पारित किया गया है वह स्थिर रखे जाने योग्य है।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदिका द्वारा प्रस्तुत निगरानी बलहीन एवं सारहीन होने से अस्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी, जावरा द्वारा प्रकरण क्रमांक 16/2012–13/अपील में पारित आदेश दिनांक 17.05.2013 एवं प्रकरण क्रमांक 63/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 24.07.2013 विधिवत एवं उचित होने से स्थिर रखा जाता है।

(एम.के.सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर